न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम बिक्रमगंज।
नियमित जमानत आवेदन सं0–34 / 2026
आदेश

16.03.2026 यह नियमित जमानत आवेदन आवेदक अभियुक्त बिरेन्द्र राम उर्फ भैया राम की ओर से दाखिल किया गया है, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 393, 307 एवं आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन दर्ज नासरीगंज थाना कांड सं0 51 / 2024 में दिनांक 02.01.2026 से कारा में है। उक्त वाद वर्तमान में विद्वान अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी, बिक्रमगंज, रोहतास के न्यायालय में लंबित है। आवेदन की कॉपी विद्वान अपर लोक अभियोजक को दी गई है।

उक्त नियमित जमानत आवेदन पर आवेदक अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री पवन कुमार सिंह को सुना एवं अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री श्रीधन कुमार तिवारी को सुना।

अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि सूचक अजीम कुरैशी, बालाजी ब्राण्ड के कुरकुरे, मिक्चर एवं बिस्कुट का होलसेल का व्यवसाय करता है। दिनांक 11.02.2024 को सूचक नासरीगंज एवं आसपास के क्षेत्रों से अपने बकाया राशि की वसूली कर मोटरसाईकिल से डिहरी लौट रहा था। रास्ते में बाईपास के पास पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराने के बाद जब वह आगे बढ़ा तो एक सफेद रंग की अपाची मोटरसाईकिल पर सवार दो अज्ञात व्यक्तियों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। आगे अभियोजन का वाद यह है कि जब सूचक पडुरी के पास पहुंचा तो उक्त मोटरसाईकिल सवार व्यक्ति पुनः उसके पीछे आया और पीछे बैठे व्यक्ति ने सूचक पर गोली चला दी, जो उसके पेट के बगल एवं कमर के उपर लगकर निकल गया, जिससे वह घायल हो गया। सूचक किसी प्रकार पास की एक दुकान में जाकर अपनी जान बचाया। आगे अभियोजन का वाद यह है कि सूचक का विश्वास है कि अभियुक्तों ने उसके पास मौजूद तगादा के पैसे को लूटने के उद्देश्य से उस पर गोली चलाई थी। बाद में स्थानीय लोगों एवं पुलिस की सहायता से उसे रेफरल अस्पताल नासरीगंज ले जाया गया, जहां से बेहतर इलाज हेतु उसे बाहर रेफर किया गया। उपचार के पश्चात दिनांक 14.02.2024 को सूचक ने थाना में लिखित आवेदन दिया।

आवेदक अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता को सुना। आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक अभियुक्त ने इस न्यायालय के अतिरिक्त किसी अन्य न्यायालय में कोई अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया है। आगे आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक अभियुक्त निर्दोष है। उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। उसे इस वाद में झूठा फंसाया गया है। **आवेदक अभियुक्त का पांच आपराधिक इतिहास है।** आगे आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक अभियुक्त को मात्र संदेह के आधार पर इस वाद में झूठा फंसाया गया है। आवेदक अभियुक्त प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त नहीं है तथा उसके कब्जे से कोई बरामदगी नहीं है। आगे आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक अभियुक्त का इस वाद की घटना से कोई सरोकार नहीं है तथा वह इस वाद की घटना में शामिल भी नहीं था। आवेदक अभियुक्त का नाम इस वाद में सह अभियुक्तों के दोषस्वीकारोक्ति बयान में आया तथा आवेदक अभियुक्त को इस वाद में दूसरे मामले से रिमांड किया गया है। अभियोजन पक्ष का मामला पूरी तरह से झूठा और मनगढ़ंत है। अतः आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की है।

लगातार
16.03.2026

अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना। उन्होंने आवेदक अभियुक्त के जमानत आवेदन का विरोध किया है तथा यह कहा है कि सह अभियुक्त की दोषस्वीकृत के अनुसार आवेदक अभियुक्त ने सूचक को रुकने का इशारा किया था किन्तु वह नहीं रुका तो उसने उसे गोली मार दिया। चिकित्सक ने चिकित्सकीय जांच के क्रम में जख्मी के शरीर पर फायर आर्म्स इंजरी का जख्म पाया था। आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध लगाया गया अभियोग गंभीर है। अतः उन्होंने आवेदक अभियुक्त के जमानत आवेदन को अस्वीकृत किए जाने की प्रार्थना की है।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह पता चलता है कि आवेदक अभियुक्त इस वाद की प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त नहीं है किन्तु इस वाद के सह अभियुक्त के दोष स्वीकारोक्ति बयान में आवेदक अभियुक्त का नाम इस वाद की घटना में शामिल हरने वाले अभियुक्त के रूप में आया है। **अभिलेख पर आवेदक अभियुक्त का पांच आपराधिक इतिहास है।** सह अभियुक्त की दोषस्वीकृत के अनुसार आवेदक अभियुक्त ने सूचक को रुकने का इशारा किया था किन्तु वह नहीं रुका तो उसने उसे गोली मार दिया। चिकित्सक ने चिकित्सकीय जांच के क्रम में जख्मी के शरीर पर फायर आर्म्स इंजरी का जख्म पाया था। अभियुक्तों की योजना सूचक से तगादा के रुपए को लूटने की थी। आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध लगाया गया अभियोग गंभीर है। केस दैनिकी के कंडिका 33, 34, 35 एवं 36 में सीडीआर रिपोर्ट है, जिसके अवलोकन से यह पता चलता है कि घटना के पूर्व अभियुक्त ने एक दूसरे से बात किया है।

अतः एतस्मीनपूर्व वर्णित तथ्यों, वाद की परिस्थितियों एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक के कथनों पर विचार करने के पश्चात मैं आवेदक अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करना उचित नहीं समझता हूं, तद्नुसार आवेदक अभियुक्त का जमानत आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है।

लेखापित

अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, बिक्रमगंज।